

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017-पौष 8, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

जबलपुर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

क्र.-04-02/195/यो.रूपा./3086.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीम्ड ट्रांसमिशन लाइसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकरणों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकरणों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

(1) नाम : ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) 132 के. व्ही. के कार्य :-

(i) 132 के. व्ही. पारेषण लाईने :-

1. उज्जैन 400 के. व्ही. से नरवर तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-1600.00 लाख रु.

(ii) नये उपकरण की स्थापना :-

1. नरवर (जिला-उज्जैन) में 1 x 63 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकरण की स्थापना, अनुमानित लागत-1600.00 लाख रु.

(iii) 132 के. व्ही. फीडर बे :-

उज्जैन 400 के. व्ही. (2) कुल 2 नंबर फीडर बे अनुमानित लागत-250.00 लाख रु.

(IV) अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना :-

1. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र पवर्ट में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
2. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र दालोदा में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
3. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र चिचोली में 20 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-184 लाख रु.
4. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मकदोन में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
5. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (धार) में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बलवाड़ा में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.,
7. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र ब्यावरा में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
8. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र ईलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इन्डौर (इन्डौर) में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-565 लाख रु.
9. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र देपालपुर में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
10. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र खाचरोद में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
11. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र दतिया में 50/40 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-518 लाख रु.
12. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र कुरावर में 20 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-184 लाख रु.
13. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र हटा में 20 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-184 लाख रु.
14. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र जतारा में 20 एमव्हीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-184 लाख रु.

(V) क्षमता वृद्धि कार्य :-

1. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र भौंग में 20 एमव्हीए क्षमता के 132/33 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 50/40 एमवीए क्षमता के ट्रांफार्मर की स्थापना कर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि कार्य, अनुमानित लागत-350 लाख रु.

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-

1. जल संसाधन संभाग-दो, बैतूल द्वारा नगझरी जलाशय के निर्माण के कारण 220 के.व्ही. बैतूल-छिन्दवाड़ा/सारणी डी.सी.डी.एस. लाईन के लो.क्र.42 से 45 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 x 0.9 कि.मी., अनुमानित लागत-26.82 लाख रु.
2. पश्चिम रेल द्वारा छोटा उदयपुरा से धार ब्रॉड गेज रेल्वे लाईन के निर्माण के कारण 132 के.व्ही. कुक्की-अलीराजपुर डी.सी.डी.एस. लाईन के लो.क्र.136 से 140 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 x 1.4 कि.मी., अनुमानित लागत-139.78 लाख रु.
3. एन.टी.पी.सी. खरगौन के ताप विद्युत गृह हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण के कारण 220 के.व्ही. ओमकारेश्वर-खण्डवा डी.सी.डी.एस. लाईन के लो.क्र.56 से 59 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 x 1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-191.21 लाख रु.
4. एन.टी.पी.सी. खरगौन के ताप विद्युत गृह हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण के कारण 132 के.व्ही. बड़वाहा-छेगांव डी.सी.डी.एस. लाईन के लो.क्र.51 से 55 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 x 1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-162.72 लाख रु.
5. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, कटनी द्वारा खरखरी मोड़ के सगोड़ी रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. जबलपुर-माढ़ोताल-मनसकरा/कटनी डी.सी.डी.एस. लाईन के लो.क्र. 272 से 275 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 x 1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-14.38 लाख रु.
6. राष्ट्रीय राज मार्ग लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा विदिशा वायपास रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. विदिशा-भोपाल डी.सी.डी.एस. लाईन के लो.क्र. 163 से 168 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 x 1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-42.05 लाख रु.
7. न्यू-कटनी जंक्शन से सिंगरौली भाग के रेल्वे विद्युतीकरण हेतु 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बरही, जिला कटनी से मेसर्स इकॉन द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र खन्ना-बन्जारी, जिला कटनी को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस, 2 वायर (डी.सी.एस.एस.) लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 6.5 कि.मी., अनुमानित लागत-481.06 लाख रु.
8. न्यू-कटनी जंक्शन से सिंगरौली भाग के रेल्वे विद्युतीकरण हेतु 132 के. व्ही. उपकेन्द्र ब्यौहारी, जिला शहडोल से मेसर्स इकॉन डी.सी.एस.एस. द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र ब्यौहारी, जिला शहडोल को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस, 2 वायर (डी.सी.एस.एस.) लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 10 कि.मी., अनुमानित लागत-779.75 लाख रु.
9. न्यू-कटनी जंक्शन से सिंगरौली भाग के रेल्वे विद्युतीकरण हेतु 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सीधी, जिला-सीधी से मेसर्स इकॉन द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र मरवासग्राम, जिला सीधी को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस, 2 वायर (डी.सी.एस.एस.) लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 55.0 कि.मी., अनुमानित लागत-4179.59 लाख रु.
10. न्यू-कटनी जंक्शन से सिंगरौली भाग के रेल्वे विद्युतीकरण हेतु 132 के. व्ही. उपकेन्द्र डॉगरीताल, जिला-सिंगरौली से मेसर्स इकॉन द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र गजरा बहेरा, जिला सिंगरौली को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस, 2 वायर (डी.सी.एस.एस.) लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 30.0 कि.मी., अनुमानित लागत-2778.38 लाख रु.
11. मेसर्स राठी आयरन एवं इण्डस्ट्री सीलिमिटेड (एसएमएस) के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में स्थित प्लांट को विद्युत आपूर्ति हेतु 18 माह के लिए अंतरिम संयोजन व्यवस्था हेतु 132 के.व्ही. भानु स्टील लाईन से टेप कर मेसर्स राठी आयरन एवं स्टील की गेन्ट्री तक तार खींचने का कार्य, लम्बाई-1 x 0.05 कि.मी., अनुमानित लागत-3.83 लाख रु.
12. नर्मदा शुगर मिल्स के ग्राम सालीचौका, तहसील गाडरवार, जिला नरसिंहपुर के 30 मेगावाट बेगास आधारित सह-उत्पादन संयंत्र के संयोजन हेतु 132 के. व्ही. एकल परिपथ गाडरवारा-बनखेड़ी लाईन को प्रस्तावित उपकेन्द्र में लीलो करने हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-2 x 2.0 कि.मी., अनुमानित लागत-263.9 लाख रु.

(III) अन्य कार्य:— 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. एवं 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों में 25 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण कर चुके स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर को नये ट्रांसफार्मर से बदलने का कार्य-

400 के. व्ही.-04 नग, 220 के. व्ही.-25 नग एवं 132 के. व्ही.-147 नग, कुल अनुमानित लागत रु. 841.80.

(IV) कुल अनुमानित लागत:

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 1030 करोड़ है।

(3) टावर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार:

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञितधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती है।

(574-बी.)

एफ. डी. ठाकुर,

मुख्य अधियंता (कारपोरेट अफेयर्स),
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे नितिश अरजरिया के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर नितिश चतुर्वेदी हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नितिश चतुर्वेदी के नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(नितिश अरजरिया)

(नितिश चतुर्वेदी)

(NITISH ARJARIYA)

(NITISH CHATURVEDI)

(595-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री आद्या मिश्रा का जन्म 30-05-2014 को इलाहाबाद में हुआ था का पुत्री के नाना-नानी द्वारा जन्म के समय छवि मिश्रा नाम लिखा दिया गया था। मेरे द्वारा उक्त नाम को बदलकर आद्या मिश्रा रखा गया है।

अमित मिश्रा,

पिता-श्री बद्री प्रसाद मिश्रा,
ए. जी. कॉलेज रोड, पड़ारा, रीवा,
जिला रीवा (म.प्र.).

(575-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम शासकीय समस्त रिकार्ड एवं शालेय दस्तावेजों एवं अन्य रिकार्ड में सुरेश कुमार मंघवानी (Suresh Kumar Manghwani) पिता स्व. गिरधारीलाल अंकित है। परिवार एवं अन्य शासकीय रिकार्ड में इसी नाम से जाना जाता रहा हूँ। अब में सुरेश कुमार मनवानी (Suresh Kumar Manwani) पिता स्व. श्री गिरधारीलाल कर रहा हूँ। परिवर्तित नाम से जाना व पहचान अनुसार भविष्य में भी समस्त अधिलेखों, विलेखों कार्यवाहियों, सरकारी या प्रायवेट में इसी नाम से जाना जाऊँगा।

पुराना नाम :

नया नाम :

(सुरेश कुमार मंघवानी)

(सुरेश कुमार मनवानी)

(576-बी.)

जे-120-ए, एल. आई.जी. कॉलोनी,
इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नाम रबीना खान पुत्री श्री अजीज खान था. जिसे बदलकर मैंने अपना नाम आफरीन पुत्री श्री अजीज खान कर दिया है. मैं अवाड़पुरा कम्पू में निवासी हूँ अब मेरा नाम आफरीन खान माना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(रबीना खान)

(आफरीन)

पुत्री श्री अजीज खान

पुत्री श्री अजीज खान.

(577-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम कु, कोमल खूबचन्दनानी पुत्री श्री मनोहर लाल खूबचन्दनानी था जो कि विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती वंशिका मंशानी पत्नी श्री दीपक मंशानी हो गया है. अतः अब मुझे वंशिका मंशानी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(कु, कोमल खूबचन्दनानी)

(वंशिका मंशानी)

म. नं. 2, साई रेसीडेन्सी,

सागर कैम्पस, चूना-भट्टी, भोपाल (म.प्र.).

(578-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वैभव मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, निवासी-466, 467, हरगोविन्दपुरम्, सिटी सेन्टर, ग्वालियर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ मैं, शपथपूर्वक सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण-पत्र में नाम अनिका मिश्रा (ANIKA MISHRA) दर्ज है जबकि स्कूल एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम मेरे द्वारा परिवर्तित करवाकर वंशिका मिश्रा लिखवाया गया है.

अतः भविष्य में मेरी पुत्री वंशिका मिश्रा (VANSHIKA MISHRA) के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाएगी एवं समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय, स्कूल एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

वैभव मिश्रा,

466, 467, हरगोविन्दपुरम्, सिटी सेन्टर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(579-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राजेश कुमार ढीमर पुत्र श्री किशनलाल था. समस्त दस्तावेजों एवं शासकीय, अंकसूची में मेरा नाम राजेश ढीमर है. अब मैं अपना नाम बदलकर राजेश बर्मन पुत्र श्री किशनलाल कर दिया है. आज से मुझे राजेश बर्मन इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(राजेश कुमार ढीमर)

(राजेश बर्मन)

पता-बी-231, “सी” आदित्य टॉवर,

2-ए, साकेत नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(580-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश सिंह राजपूत पिता कमलेश सिंह राजपूत, निवास 45/1, ग्राम चंदवाड़ पोस्ट, नानपोन, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश) 464665, मेरा नाम मुकेश सिंह राजपूत के स्थान पर मुकेश सिंह ठाकुर लिखा/पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(मुकेश सिंह राजपूत)

(मुकेश सिंह ठाकुर)

(MUKESH SINGH THAKUR)

(584-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भाग्यश्री सराफ उर्फ प्रमिला सराफ, आयु 47 वर्ष, पति अनिल कुमार सराफ, निवासी वार्ड क्र. 2, कोतमा थाना व तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) की निवासी है, शपथ-पत्र देकर सर्व-साधारण को सूचित किया है कि मेरा घरेलू नाम भाग्यश्री सराफ पति अनिल कुमार सराफ है, जबकि वास्तविक नाम प्रमिला सराफ पति अनिल कुमार सराफ है जो कि मेरे राशनकार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड में दर्ज है. यह कि भाग्यश्री सराफ एवं प्रमिला सराफ उक्त दोनों नाम एक ही महिला अर्थात् शपथकर्ता का ही नाम है अन्य किसी महिला का नाम नहीं है.

यह कि उक्त दोनों नाम शपथकर्ता का ही नाम है जिसके प्रमाणी करण बाबत् यह शपथ-पत्र निष्पादित करा रही हैं.

पुराना नाम :

(भाग्यश्री सराफ उर्फ प्रमिला सराफ)

(581-बी.)

नया नाम :

(प्रमिला सराफ)

पति अनिल कुमार सराफ,
वार्ड क्र. 2, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.).

CHANGE OF SURNAME

Kundan Kumar Mishra S/o Shri Nagendra Nath Mishra, aged about 45 year R/o I C 16 Sanik Society Shahid Gulab Singh Ward, Jabalpur do hereby solemnly affirm as under :-

1. That, I am serving in accounts department of WCR Jabalpur.
2. That earlier my daughter's name was recorded as "SHRUTI SIMRAN" in the records but now I need to change her name as "SHRUTI MISHRA" and the date of birth mentioned in the all school records are 07th Feb, 2003 but the correct date of birth is 21st Dec, 2003 as per the Birth Certificate issued by the Government of Bihar.
3. That through this affidavit I Inform/declare that my daughter will be known with name "SHRUTI MISHRA" only and her earlier records be changed from her corrected name i.e. "SHRUTI MISHRA" and the date of birth also be corrected as 21st Dec, 2003 in all the School records.

KUNDAN KUMAR MISHRA.

(582-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओमप्रकाश तिवारी तनय री हरचरन तिवारी, वार्ड नं. 23, वीरेन्द्र कॉलोनी, नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर का निवासी हूँ. यह कि मेरा नाम ओमप्रकाश तिवारी सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों में लेख है जबकि कक्षा 11वीं की अंकसूची में मेरा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी लेख हो गया है. अन्य किसी भी दस्तावेज में ओमप्रकाश त्रिपाठी नाम का लेख नहीं है यह कि ओमप्रकाश तिवारी एवं ओमप्रकाश त्रिपाठी एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरा ही नाम है. अतः मेरे पीपीओ में संशोधन करते हुये ओम प्रकाश त्रिपाठी की जगह ओम प्रकाश तिवारी लेख किया जाये.

पुराना नाम :

(ओमप्रकाश त्रिपाठी)

(583-बी.)

नया नाम :

(ओम प्रकाश तिवारी)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम शालेय दस्तावेजों एवं अन्य रिकार्ड में "हरीश कुमार उप्पल पिता श्री धनराज उप्पल" अंकित है एवं परिवार तथा मित्रों के मध्य इसी नाम से जाना जाता है. मैं, दत्तक पुत्र मंगतराय उप्पल का हो जाने से अब मैं, हरीश कुमार उप्पल पिता श्री मंगतराय उप्पल के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा तथा भविष्य में भी हरीश कुमार उप्पल पिता श्री मंगतराय उप्पल नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा एवं इसी नाम से समस्त व्यवहार किया जावेगा.

पुराना नाम :

(हरीश कुमार उप्पल)

पिता श्री धनराज उप्पल.

206, MIG, गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.).

(585-बी.)

नया नाम :

(हरीश कुमार उप्पल)

पिता श्री मंगतराय उप्पल,

246, उषा नगर एक्सटेंशन, इन्दौर.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रफुल्ल मालवीय पिता श्री महेश प्रसाद मालवीय, निवासी-51, गोमती कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरा नाम सभी दस्तावेजों में प्रफुल्ल मालवीय दर्ज है, मैं अपने नाम के आगे सरनेम जोशी दर्ज करवाना चाहता हूँ, अतः मुझे भविष्य में प्रफुल्ल जोशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(प्रफुल्ल मालवीय)

(प्रफुल्ल जोशी)

(586-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह के पूर्व कु. शर्मिला पुत्री केदारनाथ गोयल, निवासी जौरा, जिला मुरैना था. विवाह उपरान्त मेरे ससुराल में मेरा नाम श्रीमती प्रीति अग्रवाल पति श्री आनंद कुमार अग्रवाल, निवासी ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर हो गया है, मुझे वर्तमान में शर्मिला व प्रीति दोनों नामों से पुकारा जाता है, अब भविष्य में मैं, प्रीति अग्रवाल के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी अब मुझे श्रीमती प्रीति अग्रवाल पति आनंद कुमार अग्रवाल के नाम से जाना-पहचाना जावें.

पुराना नाम :

नया नाम :

(शर्मिला)

(प्रीति अग्रवाल)

पति श्री आनंद कुमार अग्रवाल,
निवासी-ललितपुर कॉलोनी, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(594-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Virendra Kumar Jain here by declare that, I have changed my name as Dilip Jain. So, from now and in future I will be known by my new name Dilip Jain.

Old Name:

New Name :

(VIRENDRA KUMAR JAIN)

(DILIP JAIN)

(596-B.)

86, Anjani Nagar, Airport Road,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, रितु विशाल मित्रा पत्नी श्री विशाल मित्रा, शादी के पूर्व मेरा नाम कु. रितु दुबे था, विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती रितु विशाल मित्रा पत्नी श्री विशाल मित्रा, निवासी ई-2/252, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश के नाम से जानी व पहचानी जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(कु. रितु दुबे)

(रितु विशाल मित्रा)

पति श्री विशाल मित्रा.

(597-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रचित गर्ग है, किन्तु मेरी सभी अंकसूचियों में मेरा उपनाम प्रचित अग्रवाल लिखा है, अब से मैं अपने सभी दस्तावेजों में अपना सही नाम लिखवाना चाहता हूँ, अतः अब से मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे सही उपनाम प्रचित गर्ग से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(प्रचित अग्रवाल)

(प्रचित गर्ग)

(598-बी.)

368, महात्मा गांधी मार्ग,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रतन लाल था. जो बदलकर मोहन लाल हो गया है. अतः मुझे मेरे नये नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(रतन लाल)

(599-बी.)

नया नाम :

(मोहन लाल)

झूगी नं. 373, यादव पुरा,
पुरानी विधानसभा, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र 23 जनवरी, 2015 को नाम परिवर्तित किया गया था. मेरा नया नाम यशवन्त वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा, निवासी लाईन नं. 2, मकान नं. 108, बिरला नगर, ग्वालियर हो गया है. किन्तु मैं, इस नाम को (यशवन्त वर्मा) को शून्य घोषित करना चाहता हूँ और अपने पूर्व नाम नरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा, निवासी लाईन नं. 2 मकान नं. 108 बिरला नगर, ग्वालियर के साथ ही रहना चाहता हूँ. अतः भविष्य में मुझे नरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे एवं सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में नरेन्द्र वर्मा के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(यशवन्त वर्मा)

(603-बी.)

नया नाम :

(नरेन्द्र वर्मा)

पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा,
लाईन नं. 2 मकान नं. 108,
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्रुति इंजीनियरिंग एण्ड डेवलपर्स स्थित बी-342, जीवाजीनगर, थाटीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00053/13, दिनांक 03-06-2013 है. जिसमें में दिनांक 13-08-2013 को भागीदार श्रीमती भरती सूद पति श्री प्रवीण सूद, निवासी बी-342, जीवाजीनगर, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 13-08-2013 को नवीन भागीदार के रूप में श्री दलवीर सिंह कंसाना पुत्र श्री वरन सिंह कंसाना, निवासी 234, होदपुर, ग्वालियर एवं श्रीमती सुनीता शर्मा पति श्री हरीश शर्मा, निवासी 16, नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स श्रुति इंजीनियरिंग एण्ड डेवलपर्स,
विजय आनन्द,
(भागीदार).

(587-बी.)

NOTICE**U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

This is to notify that Shri Girdharilal Biharilal Tayal, Shri Rajendra Kumar Tayal, Smt. Purnima Dilipkumar Tayal, Smt. Mamta Pawankumar Tayal, Shri Ankit Kumar Girdharilal Tayal, Shri Arpit Kumar Rajendrakumar Tayal, Puneetkumar Sureshkumar Tayal, Shri Namankumar Narendrakumar Tayal, Master Trishank Kamalkishore Tayal retired from the partnership firm M/s Shree Shankar Cotton Corporation, Warla Road, Sendhwa, Dist - Barwani (M.P.) w.e.f. 01.09.2010 and Shri Kamalkishore Tayal and Shri Sureshkumar Tayal has been admitted as a partner in the said partnership firm w.e.f. 01.09.2010. The constitution of the firm stands altered accordingly.

For—Shree Shankar Cotton Corporation,

NARENDRA KUMAR TAYAL,

(Partner).

(588-B.)

आम सूचना

आप सबको सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म आस्था बिल्डकॉन जो कि 0050/13-14 को रजिस्टर्ड है. आज दिनांक 20-12-2017 को अविनाश शुक्ला को फर्म से अलग कर दिया गया है. नए पार्टनर श्रीमती मंजूला सिंह, बीणा गुप्ता, श्रीमती मधु सिंह एवं आशीष गुप्ता को शामिल किया जा रहा है. अतः समस्त पार्टनर एवं आमजन सूचित हों.

आस्था बिल्डकॉन,

महेन्द्र सिंह,

प्रगति हाऊस बरा, रीवा (म.प्र.).

(602-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं समस्त सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Nagpur Scan Diagnostic Center पंजीकृत फर्म है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/0205/16, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 है. दिनांक 04-08-2017 से इस फर्म की रचना में परिवर्तन किया गया है, जिसमें फर्म के भागीदार श्री सोनू ठाकरे पिता सुधाकर ठाकरे ने दिनांक 04-08-2017 को Nagpur Scan Diagnostic Center फर्म से अपना हिस्सा वापस लेकर स्वेच्छा से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अपने आपको फर्म से पृथक् कर लिया है, उपरोक्त दिनांक से सोनू ठाकरे पिता सुधाकर ठाकरे (भागीदार) का इस फर्म में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

संशोधित डीड उपरोक्त तिथि को तैयार कर शेष भागीदार व्यवसाय का संचालन यथावत् करते रहेंगे.

संदीप गुमास्ता,

(अधिवक्ता)

प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा.

(589-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म रामचंद्र बद्री प्रसाद गौर जिसका पता-गौर भवन रघुनाथ गंज, कटनी मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 1756 सन् 1963-64, दिनांक 18-03-1964 पंजीयन फर्म है, में से दिनांक 13-06-2010 को भागीदार हरद्वारी लाल शर्मा आत्मज श्री गिरधारी लाल शर्मा, निवासी रघुनाथ गंज कटनी मध्यप्रदेश फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 13-06-2010 को पार्टनर श्रीमति दुर्गाबाई शर्मा पत्नि श्री हरद्वारी लाल शर्मा, निवासी रघुनाथ गंज, कटनी मध्यप्रदेश जिनकी मृत्यु 12-06-2010 को हो जाने के कारण फर्म से पृथक् किया जाता है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-रामचंद्र बद्री प्रसाद गौर,

श्यामसुन्दर शर्मा,

(भागीदार)

पता-गौर भवन रघुनाथ गंज कटनी, मध्यप्रदेश.

(590-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म रामचंद्र बद्री प्रसाद गौर जिसका पता-गौर भवन रघुनाथ गंज, कटनी मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 1756 सन् 1963-64, दिनांक 18-03-1964 पंजीयन फर्म है, में से दिनांक 02-05-2017 को भागीदार श्री रामनरेश स्वामी आत्मज राम प्रमोद, निवासी रघुनाथ गंज कटनी मध्यप्रदेश फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 02-05-2017 को पार्टनर श्रीमति शान्तिबाई पत्नि श्री रामनरेश स्वामी, निवासी रघुनाथ गंज, कटनी मध्यप्रदेश जिनकी मृत्यु 02-03-2017 को हो जाने के कारण फर्म से पृथक् किया जाता है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-रामचंद्र बद्री प्रसाद गौर,

श्यामसुन्दर शर्मा,

(भागीदार)

पता-गौर भवन रघुनाथ गंज कटनी, मध्यप्रदेश.

(591-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स शुभ-लाभ रियलिटिज, जिसका पता-310, रॉयल डायमण्ड, 3 यशवन्त कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00186/09, दिनांक 28-01-2009 से एक भागीदारी फर्म है उक्त भागीदारी फर्म में से दिनांक 21-09-2017 से श्रीमती करुणा अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं और इसी दिनांक से श्री निकुंज माहेश्वरी जी नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. अब इस फर्म का संचालन श्री कृष्ण किशोर तिवारी जी एवं श्री निकुंज माहेश्वरी जी कर रहे हैं.

वास्ते-मेसर्स शुभ-लाभ रियलिटिज

कृष्ण किशोर तिवारी जी,

(भागीदार).

(600-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स परिकल्प एसोसियेट दिनांक 28 सितम्बर, 2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00162/10, दिनांक 14-10-2010 को पंजीकृत है. जिसकी संरचना में दिनांक 16-05-2012 में परिवर्तन किया जा चुका है अब आज अपने: संशोधित विलेख दिनांक 23-10-2017 के द्वारा श्री गिराज अग्रवाल पुत्र श्री हीरालाल अग्रवाल, निवासी सराफा बाजार, ग्वालियर स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर हट रहे हैं एवं गिराज अग्रवाल पुत्र श्री हीरालाल अग्रवाल ने अपनी समस्त जमा राशि मय व्याज के प्राप्त कर ली है आज दिनांक तक उनका मैसर्स परिकल्प एसोसियेट में किसी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं है अब संशोधित विलेख दिनांक 23-10-2017

अब संशोधित विलेख के अनुसार (1) भरतलाल अग्रवाल पुत्र श्री हीरालाल अग्रवाल, निवासी दाल बाजार, ग्वालियर, (2) रूपेश अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी 12 गीता कॉलोनी, ग्वालियर, (3) रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी कृष्णकुंज गांधीरोड, ग्वालियर, एचयूएफ श्री रोहित वाधवा, (4) महेश भारद्वाज पुत्र श्री एम. एल. भारद्वाज, निवासी 28, ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर, (5) श्रीमती ओमवती अग्रवाल पति श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, निवासी कसेरा ओली, ग्वालियर, (6) डॉ. पुरुषोत्तम जाजू पुत्र श्री हरगोविन्द जाजू, निवासी रॉयल हॉस्पीटल, कम्पू. ग्वालियर हैं।

फर्म के पते में भी परिवर्तन किया जा रहा है नया पता लोटस पार्क अटलद्वार पार्क के पास पुरानी छावनी, ग्वालियर किया जाता है हर आम खास व्यक्ति को सूचित हो।

(592-बी.)

मैसर्स परिकल्प एसोसियेट,

रोहित वाधवा एच. यू. एफ. कर्ता रोहित वाधवा,
(Partner)लोटस पार्क अटलद्वार पार्क के पास,
पुरानी छावनी, ग्वालियर.**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नाकोड़ा डेवेलर्स के नाम से भागीदारी फर्म है, जिसका प्रधान कार्यालय 299, गौतम मार्ग नयापुरा, उज्जैन है। उक्त फर्म में श्री गजेंद्र पिता भंवरलाल सकलेचा एवं श्री अक्षय पिता दिलीप जैन भागीदार हैं। उक्त भागीदार फर्म में श्रीमती चंदनबाला गिरिया पति देवेंद्र कुमार गिरिया नए भागीदार के रूप में दिनांक 31-08-2016 को शामिल हो गयी है तथा दिनांक 31-08-2016 से श्री अक्षय पिता दिलीप जैन रिटायर हो गए हैं।

(593-बी.)

ARPIT JAIN (C.A.)
(Partner)

M.NO. 418188, FRN-017333C.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पी. एन. बिल्डर्स विनय नगर सेक्टर-1, जेल रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00112/09, दिनांक 05-10-2009 है। जिसमें दिनांक 04-01-2014 को भागीदार श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री नारायण दास श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 30-10-2017 से भागीदार श्री शशिकांत गुप्ता पुत्र स्व. श्री एल. एस. गुप्ता, श्रीमती अंजु गर्ग पति श्री प्रदीप गर्ग, श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव पति श्री राजेश श्रीवास्तव अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 30-10-2017 से श्री शुभम् श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेश श्रीवास्तव फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(601-बी.)

फर्म-पी. एन. बिल्डर्स,
रामकिशोर श्रीवास्तव,
(भागीदार).**विविध****आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं****कलेक्टर कार्यालय, जिला नरसिंहपुर**

नरसिंहपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

क्र./16318/व.लि.-1/17.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अभय वर्मा, कलेक्टर नरसिंहपुर वर्ष 2018 में नरसिंहपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँः—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1.	03 मार्च, 2018	मंगलवार	रंगपंचमी पर्व
2.	27 अगस्त, 2018	सोमवार	कजलियां पर्व
3.	08 नवम्बर, 2018	गुरुवार	अन्नकूट (गोवर्धन पूजा)

उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होगा।

(1822)

अभय वर्मा,
कलेक्टर।

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

निष्प्रयोजित घोषित वाहन की नीलामी की सूचना

क्र./जी.बी.05(09)2017/2623.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल का वाहन क्रमांक एम.पी. 02-0786 इंडिका कार को निष्प्रयोजित किया गया है, वाहन जिस हालत में है उसी हालत में नीलामी हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते आवेदन-पत्र तथा नीलामी की बोली दिनांक 03 जनवरी, 2018 समय 03: 00 बजे प्रारम्भ की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी, नीलामी की शर्तें एवं वाहन के निरीक्षण हेतु नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त नीलामी सूचना को विभाग की बेवसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

राजेश कोल,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश भोपाल.

(1936)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.-1 /बी-113/2017-18.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (श्री दिगम्बर जैन मंदिर समिति ट्रस्ट) द्वारा श्री महेन्द्र कुमार जैन ट्रस्टी, निवासी म. नं.-388/2-सी, साकेतनगर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | श्री दिगम्बर जैन मंदिर समिति ट्रस्ट.
(कार्यालय म. नं.-ए-54, अल्कापुरी, भोपाल). |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निल. |

आज दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

संजय कुमार श्रीवास्तव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(1823)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक AIREN FOUNDATION पता-15/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर तरफे कार्यकारी न्यासी श्री रामचन्द्र ऐन पिता श्री छगनलाल ऐन,

पता-6/2, न्यू पलासिया, इन्दौर अन्य-4 द्वारा AIREN FOUNDATION का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"AIREN FOUNDATION"
पता	:	कार्यालय-15/2, ओल्ड पलासिया इन्दौर, मध्यप्रदेश
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में ट्रस्ट के पास चल सम्पत्ति में रुपये 1,00,000/- अक्षरी रुपये (एक लाख मात्र) है जो सिटी युनियन बैंक, शाखा न्यू पलासिया इन्दौर के खाता क्रमांक 510909010034034 से जमा है।
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1824)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक अखण्ड प्रणव योग-वेदान्त पारमार्थिक न्यास, पता-2/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फ न्यासीगण स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती पिता स्वामी श्री औंकारान्द सरस्वती, पता गीता भवन मंदिर प्रांगण, इन्दौर अन्य-12 के द्वारा अखण्ड प्रणव योग-वेदान्त पारमार्थिक न्यास, का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"अखण्ड प्रणव योग-वेदान्त पारमार्थिक न्यास"
पता	:	कार्यालय-2/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर मध्यप्रदेश
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार) मात्र) है, जिसे ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री सुरेशचन्द्र शाहरा के द्वारा चैक क्रमांक 842390, दिनांक 04 सितम्बर, 2017 एक्सिस बैंक इन्दौर, अखण्ड प्रणव योग-वेदान्त पारमार्थिक न्यास के गठन हेतु प्रदान किये गये हैं।
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1825)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक संघवी फाउण्डेशन, पता सिल्वर हाउस, 362-ए-ए, स्कीम नम्बर 74 सी, ए. बी. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फ न्यासी श्री दिनेश कुमार पिता श्री नानालाल संघवी, पता-546, पंचवटी के सामने तलावली चांदा, इन्दौर अन्य-6 के द्वारा संघवी फाउण्डेशन का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“संघर्षी फाउण्डेशन”
पता	:	कार्यालय-सिल्वर हाउस, 362-ए-ए, स्कीम नम्बर 74 सी., ए. बी. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश।
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रूपये 11,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार) मात्र) है।
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1861)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री बलेश्वर महादेव झूलेलाल मन्दिर ट्रस्ट, पता पटेल नगर, सर्वोदय नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फे न्यासी श्री मुरली कुमार पिता श्री टऊमल सुबनानी, पता-364, साधु वासवानी नगर, इन्दौर के द्वारा अखण्ड श्री बलेश्वर महादेव झूलेलाल मन्दिर ट्रस्ट का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री बलेश्वर महादेव झूलेलाल मन्दिर ट्रस्ट”
पता	:	कार्यालय-पटेल नगर, सर्वोदय नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रूपये 51,000/- (अक्षरी रूपये इक्यावन हजार मात्र) है।
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1863)

बिहारीसिंह,
रजिस्ट्रार।

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास, जबलपुर

रा.प्र. क्र. 01/बी-113/1/2016-17.

जारी दिनांक 14 नवम्बर, 2017

प्रारूप-4

[नियम-5 (1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962, के नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री मनोज जैन, प्रवीण जैन, मुखिलेश जैन, निवासी बरेला के द्वारा “श्री चंद्रप्रभ दिग्म्बर जैन अतिशय क्षेत्र समिति,

बरेला जबलपुर” के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को विचार के लिए नियत किया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

“अनुसूची”

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण लोक न्यास का नाम और पता)

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | “श्री चंद्रप्रभ दिग्म्बर जैन अतिशय क्षेत्र समिति, बरेला जबलपुर”। |
| 2. चल सम्पत्ति | : | बर्तन एवं विविध पूजन सामग्री अनुमानित मूल्य 834000/- एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा बरेला के एकाउंट नं. 30708119125 में जमा राशि 327000/- |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | तहसील जबलपुर स्थित नगर परिषद बरेला के वार्ड क्र.14 बाजार मोहल्ला, मेन रोड में 2400 वर्गफुट क्षेत्रफल का द्विमिला जिनालय। |

नमः शिवाय अरजरिया,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(1826)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-कोतवाली, जबलपुर

प्र.क्रमांक /बी-113/2016-17.

जारी दिनांक 23 नवम्बर, 2017

प्रारूप-4

[नियम-5 (1)देखिए]

(संशोधित इश्तहार एवं आम सूचना)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962, के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक ट्रस्ट मित्रसंघ (पब्लिक एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट) की ओर से आवेदक श्री अजित कुमार वर्मा महासचिव मित्रसंघ, निवासी मित्रसंघ, कार्यालय 220, उपरैनगंज, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यासियों का नाम एवं पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम/पिता का नाम	पता	पद
1.	श्री अजीत कुमार वर्मा पिता स्व. सुंदरलाल वर्मा	मित्रसंघ कार्यालय 220, उपरैनगंज, जबलपुर	महासचिव
2.	श्री सच्चिदानंद शेकटकर पिता स्व. बालाजी राव	667, जयप्रकाश नारायण वार्ड सानेवाडा माढोताल, जबलपुर	अध्यक्ष
3.	श्री परितोष वर्मा पिता श्री अजित कुमार वर्मा	904, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, वार्ड जबलपुर	संयोजक
4.	श्री अभिजात कृष्ण त्रिपाठी	583/5, आनंद नगर	सचिव
5.	श्री शेलेष पण्ड्या पिता स्व. आनंद पण्ड्या	845/846, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, वार्ड जबलपुर	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमति शालिनी वर्मा पति श्री परितोष वर्मा	904, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, वार्ड जबलपुर	सदस्य
7.	श्रीमति लता अग्रवाल पति श्री राजेन्द्र अग्रवाल	261, डॉ. बराट रोड नेपियर टाउन, जबलपुर	सदस्य
8.	श्रीमति स्वाती शेकटकर पति श्री सच्चिदानंद शेकटकर	667, जयप्रकाश नारायण वार्ड सानेवाडा माढोताल, जबलपुर	सदस्य
9.	श्री हरिओर हजारी पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद हजारी	नगर निगम परिसर नेपियर टाउन, जबलपुर	सदस्य
10.	श्री अनिल ठाकुर पिता श्री रामरेखा ठाकुर	एफ-27, सैनिक सोसायटी गुप्तेश्वर, जबलपुर	सदस्य
11.	श्री संजय गुप्ता पिता स्व. हीरालाल गुप्ता	20/ए, आजाद चौक सदर बाजार, जबलपुर	सदस्य

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम	:	ट्रस्ट मित्रसंघ (पब्लिक एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट)
एवं पता	:	मित्रसंघ, कार्यालय 220, उपरैनगंज, जबलपुर (म.प्र.)
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक
4. न्यास की आय का साधन	:	दान एवं चंदे के द्वारा

अंशुल गुप्ता,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

(1827)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

रा.प्र.क्र.02/बी-113(1)/2017-18

प्रो.क्र. /2017-18

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास।

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष “रॉयल ट्रस्ट” न्यू काजीपुरा, जिला खरगौन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	निरंक	निरंक
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक

राजेन्द्र सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(1862)

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक, छतरपुर

प्र.क्र.01/बी-113/2017-18.

छतरपुर, दिनांक 30 नवम्बर, 2017

प्रारूप-4

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम-(5) (1) के अन्तर्गत लोक न्यासों

के पंजीयक, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि :-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	रमेशचन्द्र असाटी	छतरपुर	संरक्षक
2.	श्री कमलेश असाटी	छतरपुर	संरक्षक
3.	श्री कमलाकांत असाटी	छतरपुर	अध्यक्ष
4.	श्री विवेक असाटी	छतरपुर	उपाध्यक्ष
5.	श्री महेश कुमार असाटी	छतरपुर	सचिव
6.	श्री पवन असाटी	छतरपुर	सहसचिव
7.	श्री महेश असाटी	छतरपुर	कोषाध्यक्ष
8.	श्री शैलेश असाटी	छतरपुर	प्रचार सचिव
9.	श्री विजय असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
10.	श्री सतीष असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
11.	राहुल असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
12.	श्री अखिलेश असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
13.	श्री रिषेन्द्र असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
14.	श्री राजेन्द्र असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
15.	श्री कपिल असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
16.	श्री विजय असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
17.	श्री दीपेन्द्र असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
18.	श्री राहुल असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
19.	श्री रोहित असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
20.	श्री मनीष असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
21.	श्री शुशील असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य
22.	श्री उमाशंकर असाटी	छतरपुर	कार्यकारिणी सदस्य

चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा असाटी धर्मशाला पब्लिक ट्रस्ट गल्ला मण्डी, छतरपुर म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एकट, 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 08 जनवरी, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक 08 जनवरी, 2018 के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : असाटी धर्मशाला पब्लिक ट्रस्ट गल्ला मण्डी, छतरपुर (म.प्र.)

संपत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति	: असाटी धर्मशाला एवं दुकाने
चल सम्पत्ति	: निरंक

रवीन्द्र चौकसे,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3048.—निमांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमोलपठा, शिवपुरी.	653/01-12-2015	1007/16-05-2016	श्रीमती विनीता सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1830)

शिवपुरी दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3049.—निमांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ककरई, शिवपुरी.	506/08-10-2004	1668/08-11-2013	श्री सी. एल. मौर्य, अंकेश्वर अधिकारी.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1831)

शिवपुरी दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3050.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., उमरीभिलोड़ी, शिवपुरी.	488/04-03-2004	1666/08-11-2013	श्री सी. एल. मौर्य, अंकेश्वर अधिकारी.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1832)

शिवपुरी दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3051.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दीगोदी, शिवपुरी.	773/04-05-2017	1934/24-07-2017	श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1833)

शिवपुरी दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3052.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली

सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अटरुनी, शिवपुरी.	772/04-05-2017	1933/24-07-2017	श्री डॉ. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(1834)

कार्यालय, परिसमापक चेतनामत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना

दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

चेतनामत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक/279, दिनांक 30 जून, 1994 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 3000, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साकूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुकेश सक्सेना,
परिसमापक.

(1859)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 30 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1284.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/673, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दीवाल (पंजीयन क्र. 1525, दिनांक 29 मार्च, 1994) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक झंबर, सहकारी निरीक्षक, एवं परिसमापक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसने संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक में लेनदारी

व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डावर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए संस्था प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दीवाल (पंजीयन क्र. 1525, दिनांक 29 मार्च, 1994), जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(1835)

मीना डावर,
उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2050, दिनांक 06 अगस्त, 2012 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 405, दिनांक 13 अक्टूबर, 1981 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जोवाकिय कुजुर, वरिष्ठ सह. निरी. को संस्था के परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1836)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 370, दिनांक 16 फरवरी, 2016 बद्य शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., बागली, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 10 जनवरी, 2002 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1837)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 821, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, ऋषि महाराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा सोना, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 16 फरवरी, 2015 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्नह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1838)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1927, दिनांक 18 नवम्बर, 2015, माँ नर्मदा फल कृषि साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खातेगाँव, तहसील खातेगाँव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्नह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1839)

देवास, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यामोहबा।

क्र./परि./2017/2472.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यामोहबा जिसका पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 20 जनवरी, 2000 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1950, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन

कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक ने अपने आवेदन में संस्था के सचिव/सुपरवाईजर के पत्र के आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1840)

देवास, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

कर्णीश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., करनावद.

क्र./परि./2017/2473.—कर्णीश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., करनावद जिसका पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 03 सितम्बर, 2011 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1924, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक ने संस्था को अकार्यशील होना बताया है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1841)

देवास, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंगावदा।

क्र./परि./2017/2474.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंगावदा जिसका पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 06 सितम्बर, 1980 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1911, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु

यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक ने संस्था को अकार्यशील होना बताया है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1842)

देवास, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोकिलाखेड़ी।

क्र./परि./2017/2475.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोकिलाखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 1126, दिनांक 15 मई, 2006 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1954, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक ने संस्था को अकार्यशील होना बताया है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1843)

देवास, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

महिमा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास।

क्र./परि./2017/2476.—महिमा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 332, दिनांक 13 मार्च, 2001 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1606, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया

गया है। परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1844)

देवास, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

ज्वालादेवी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास

क्र./परि./2017/2477.—ज्वालादेवी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 15 फरवरी, 2012 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1609, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था के अध्यक्ष के पत्र के आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एंव कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक।

(1845)

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह-विधि/2017/1481.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑफिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रथम क्रोडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2550/18-10-2012	700/23-06-2017

1	2	3	4
2. रजनी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		901/03-05-1989	700/23-06-2017
3. राजपूत समाज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		2378/09-06-2008	700/23-06-2017
4. सानंद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		2011/25-11-2000	700/23-06-2017
5. सत्यमित्र सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1797/17-09-1996	700/23-06-2017
6. श्री संत नरहरि सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1730/12-07-1995	700/23-06-2017
7. श्री दामोदरवंशीय गुजराती समाज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		328/04-04-1956	700/23-06-2017
8. संजय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		582/27-04-1981	700/23-06-2017
9. सर्वोदय विकास सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1147/06-08-1992	700/23-06-2017
10. श्री साँई कृष्ण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1819/27-02-1997	700/23-06-2017
11. श्री सत्य साँई सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1852/30-07-1997	700/23-06-2017
12. सर्वे ऑफ इंडिया एम्प्लाईज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		719/22-07-1983	700/23-06-2017
13. साहू राठौर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1666/20-10-1994	700/23-06-2017
14. सूर्य प्रकाश मित्र मण्डल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		360/11-01-1971	700/23-06-2017
15. शासकीय महाविद्यालय कर्म. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1677/29-12-1994	700/23-06-2017
16. शहीद चन्द्रशेखर आजाद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1772/26-03-1996	700/23-06-2017
17. सुदामा नगर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1860/11-09-1997	700/23-06-2017
18. श्री लाभ ऐश्वर्या सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		1946/19-04-1999	700/23-06-2017
19. श्री भैरव शक्ति सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		2495/08-03-2011	700/23-06-2017
20. श्री सर्वोदय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		2402/04-06-2009	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने, अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत् सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत् जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1815)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह-विधि/2017/1482.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि

सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जोबनेट सब. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2284/13-12-2006	700/23-06-2017
2.	जय अम्बे सहकारी साख संस्था मर्या., मुसाखेडी, इन्दौर	2509/16-06-2011	700/23-06-2017
3.	जय माँ काली सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2517/14-12-2011	700/23-06-2017
4.	जशग्रुप कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2548/05-10-2002	700/23-06-2017
5.	मित्र सहयोग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1833/07-05-1997	700/23-06-2017
6.	माँ शारदा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1200/02-03-1994	700/23-06-2017
7.	माँ बिजासन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1150/05-09-1992	700/23-06-2017
8.	मालवा मिल क्षेत्र व्यापारियों की सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1090/04-09-1991	700/23-06-2017
9.	मेवाड़ा कुमावत सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
10.	मातृछाया सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2471/29-12-2010	700/23-06-2017
11.	माँ दुर्गा व्यापारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2436/23-02-2010	700/23-06-2017
12.	मानव सेवा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2376/05-06-2008	700/23-06-2017
13.	नवीन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2074/22-04-2002	700/23-06-2017
14.	नागरिक विकास सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1975/24-02-2000	700/23-06-2017
15.	न्यू लकड़ी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2454/18-08-2010	700/23-06-2017
16.	नीलकण्ठेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	275/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	ऊँ साँई राम सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2467/24-11-2010	700/23-06-2017
18.	ऊँ श्री महाकालेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2377/06-06-2008	700/23-06-2017
19.	प्रेस्टिज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1132/27-02-1992	700/23-06-2017
20.	प्रखर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2645/04-10-2010	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने, अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत् सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत् जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संवर्धित पक्षकार से यह अध्ययेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1483.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑफिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1071/19-07-1991	700/23-06-2017
2.	आधार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2519/02-02-2012	700/23-06-2017
3.	भारतीय महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1968/04-01-2000	700/23-06-2017
4.	भावना सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1992/19-07-2000	700/23-06-2017
5.	भोलनाथ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2103/17-01-2003	700/23-06-2017
6.	भविष्य सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2515/16-11-2011	700/23-06-2017
7.	चित्रगुप्त सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2489/10-02-2011	700/23-06-2017
8.	दि राजकुमार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	0549/23-08-1932	700/23-06-2017
9.	धनश्री सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1125/16-12-1991	700/23-06-2017
10.	दि सिद्धेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2170/11-02-2005	700/23-06-2017
11.	द्वारकेश सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1443/	700/23-06-2017
12.	ज्ञान सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2076/06-05-2002	700/23-06-2017
13.	ग्रीन गो सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2523/14-06-2012	700/23-06-2017
14.	गुड वेल्थ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2542/21-06-2012	700/23-06-2017
15.	इन्दौर नायर क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1853/31-07-1997	700/23-06-2017
16.	इन्दौर कर्मशियल क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2353/01-02-2008	700/23-06-2017
17.	जीवन संग्रह सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1531/16-04-1994	700/23-06-2017
18.	जय झूलेलाल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2476/22-09-2011	700/23-06-2017
19.	जेमेनी महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2395/18-02-2009	700/23-06-2017
20.	जय माँ अम्बे महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2342/18-07-2008	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने, अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन

के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्ययेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1817)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1484.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑफिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., दौलतगंज	077/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	जैविक किरण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	099/05-09-2013	700/23-06-2017
3.	आदर्श हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	793/15-10-1994	700/23-06-2017
4.	जलकृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	802/10-11-1984	700/23-06-2017
5.	श्री गोडिया कहार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	258/25-05-1963	700/23-06-2017
6.	इन्दौर मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	071/02-09-1952	700/23-06-2017
7.	नवजीवन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1951/19-12-1995	700/23-06-2017
8.	मॉझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., जामनिया खुर्द	2001/07-11-2000	700/23-06-2017
9.	आदिवासी मत्स्योद्योग मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द	2110/04-03-2003	700/23-06-2017
10.	माँ भड़कली अनुसूचित जनजाति मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., नाहरखेड़ी, तहसील महू	2157/01-07-2004	700/23-06-2017
11.	श्री लक्ष्मी मछलीपालन सहकारी संस्था मर्या., पंचाखेड़ी जिहोद, तहसील महू	2169/29-11-2004	700/23-06-2017
12.	विध्याचल अ. ज. जा. मत्स्य पालन सह. संस्था मर्या., बुजुर्ग मेण	2159/06-08-2004	700/23-06-2017
13.	माँ बंजारी देवी जल कृषि मछली सह. संस्था मर्या., शिवनी	2335/26-06-2007	700/23-06-2017
14.	जल कृषि मत्स्योद्योग हरिजन सह. संस्था मर्या., बाबल्या	2380/26-06-2008	700/23-06-2017
15.	जल कृषि मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिलावली तालाब, खण्डवा रोड, रालामण्डल, इन्दौर	2417/05-09-2009	700/23-06-2017
16.	श्री लक्ष्मी अनुसूचित जाति वर्ग मत्स्यपालन सह. संस्था, खेमाना	2620/22-10-2013	700/23-06-2017
17.	न्यू मालवा हेण्डलूम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	869/08-02-1988	700/23-06-2017

1	2	3	4
18. महिला आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		839/10-12-1983	700/23-06-2017
19. इन्दौर बुनकर कॉटन हेण्डलूम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		0127/.....1990	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने, अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत् सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, सचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत् जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्येष्ठा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

अभय खरे,

संयुक्त पंजीयक।

(1818)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनकोटा।

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 20 जनवरी, 2015, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/463.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1846)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडापहाड़.

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2017/464.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें।—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1847)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकडेश्वर।

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 1148, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/465.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1848)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर.
 तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
 पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 26 अक्टूबर, 1962, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2017/466.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1849)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाईहेडा.
 तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
 पंजीयन क्रमांक 289, दिनांक 03 अगस्त, 1984, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/467.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1850)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहानपुर.
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2017/468.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1851)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुबड़ी.
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 758, दिनांक 22 मई, 2001, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/469.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1852)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
 द्वारा दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरखेडी.
 तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
 पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 12 अगस्त, 2012, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2017/470.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1853)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
 द्वारा महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सकतखेडी.
 तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
 पंजीयन क्रमांक 1189, दिनांक 20 जनवरी, 2015, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/471.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1854)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जबडी.
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 04 फरवरी, 2010, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2017/472.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1855)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिजावता.
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1147, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/473.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की

धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1856)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उदली.

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 1209, दिनांक 16 जून, 2015, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/474.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(1857)

शाजापुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकड़ी।

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2017/475.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की काई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, सुनीता गोठवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04-04-2017 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

सुनीता गोठवाल,
उप-पंजीयक।

(1858)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017-पौष 8, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2017

1. मौसम एवं वर्षा-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील मुरैना, जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), गोहद, भिण्ड (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), पिलोर, नरवर, कोलारस (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर), गुना (गुना), जतारा (टीकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), बीना, बण्डा (सागर), जबेरा, तूंद्रखेड़ा, दमोह (दमोह), अनूपपुर (अनूपपुर), मंदसौर (मंदसौर), नीमच, जावद, मनासा (नीमच), खाचरोद, घटिया, बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), सौनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौज, सतवास (देवास), पेटलावद (झाबुआ), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्की, मनावर, धरमपुरी, डही (धार), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), बैरसिया, बैरगढ़ (भोपाल), सीहोर (सीहोर), नसरूल्लागंज, जावद, रायसेन, गौहरगंज, बाड़ी (रायसेन), बैतूल, भैंसदेही, चिचौली, मुलताई, आमला (बैतूल), हरदा, टिमरनी, खिरकिया (हरदा), पाटन (जबलपुर), छिंदवाड़ा, सौंसर, मोहखेड़ा, चांद (छिंदवाड़ा), हरई, केवलारी, धनौरा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा (मुरैना), खनियाधाना (शिवपुरी), चंदेरी (अशोकनगर), निवाड़ी, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), बिजावर, बक्सवाहा (छतरपुर), देवरी, गढ़ाकोटा, मालथोन (सागर), बटियागढ़, पथरिया (दमोह), सोहागपुर (शहडोल), पाली, मानपुर (उमरिया), खातेगांव (देवास), जोवट, उदयपुर (अलीराजपुर), महेश्वर (खरगौन), रेहली (सीहोर), बेगमगांज, उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाड़ोंगरी, आठनेर (बैतूल), बाबई, इटारसी, सिवनी-मालवा, सुहागपुर, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, मझौली (जबलपुर), गाडरवारा, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, नारायणगंज (मण्डला), तामिया, बिछुआ, चौरई, उमरेठ, पांदुर्णा (छिंदवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, छपारा, घनसोर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील अटेर, मिहोना (भिण्ड), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, लवकुशनगर छतरपुर, खुरई, सागर, राहतगढ़, केसली (सागर), हटा (दमोह), अमरपाटन (सतना), बुढ़ार, गोहपारू (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), निवाली (बड़वानी), बुधनी (सीहोर), बरेली, सिलवानी (रायसेन), शाहपुर (बैतूल), होशंगाबाद (होशंगाबाद), सीहोरा

(जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटगांव, बरेली (नरसिंहपुर), बिछिया, घुघरी (मण्डला), अमरवाडा, हर्ईं, परासिया, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), बरघाट (सिवनी), बालाघाट, लांजी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील भिण्ड, मेहगांव , लहार (भिण्ड), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, बडामलहरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), रेहली, शाहगढ़ (सागर), पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगांव, रामपुरबघेलान, नागौद, उचेहरा, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्यौंथर, सिरमौर, हनुमना, हुजूर, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), ब्यौहारी, जयसिंहनगर, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), अलीराजपुर, कट्टीवाडा, चं. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), खरगौन, बड़वाह, सेगांव, गोगांव, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्न्या (खरगोन), सेंधवा (बड़वानी), गैरतगंज (रायसेन), पिपरिया (होशंगाबाद), कुण्डम (जबलपुर), निवास (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा, बजाग (डिण्डोरी), किरनापुर, बैहर, वारासिवनी, लालबरा, बिरसा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(इ) 250.0 से अधिक तक- तहसील मऊगंज, गुढ़ (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, देवास, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू है। तथा जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सागर, सीधी, भोपाल, बैतूल की तहसील शाहपुर में, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, बालाघाट में धान रोपाई कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला डिण्डोरी में फसल मक्का, सोयाबीन, उड़द एवं मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, देवास, झाबुआ, धार, बड़वानी, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा में कार्य कहीं-कहीं पर खरीफ फसलों की बोनी कार्य चालू है।

4. फसल स्थिति- . .

5. कटाई.- . .

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, सिंगरौली, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, सिवनी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त्र बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है. (द) खड़ी फसल पर रोप कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर 27.0 20.0 11.8 3.0 .. 2.0	मिलीमीटर 2. बोनी चालू,	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	मिलीमीटर 2. बोनी चालू, जुताई चालू, धान रोपाई चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड्ड, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलों सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर 51.1 77.2 8.0 96.7 57.2 44.1	मिलीमीटर 2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर 12.6 8.0 0.5 .. 13.0	मिलीमीटर 2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	मिलीमीटर 2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिंडोर	9.0				
3. खनियाधाना	34.0				
4. नरवर	4.0				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	8.0				
7. पोहरी	..				
8. बैराड़	..				
9. बद्रवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	1.0				
2. इसागढ़	1.0				
3. अशोकनगर	6.0				
4. चन्द्रेरी	18.0				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँगा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	3.7				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	26.0				
2. पृथ्वीपुर	56.8				
3. जतारा	9.0				
4. टीकमगढ़	48.0				
5. बल्देवगढ़	28.0				
6. पलेरा	25.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	21.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	14.0				
3. नौगांव	37.0				
4. छतरपुर	59.0				
5. राजनगर	63.0				
6. बिजावर	23.0				
7. बड़ामलहरा	63.0				
8. महाराजपुर	..				
9. लवकुश नगर	35.0				
10. धुवारा	..				
11. बक्सवाहा	33.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना : 1. अजयगढ़. 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. रेपुरा 6. अमानगंज 7. देवेन्द्र नगर 8. सिमरिया 9. शाहनगर	मिलीमीटर 82.2 232.3 89.6 127.0 143.3	2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़. 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़.	मिलीमीटर 11.2 38.8 9.2 51.2 57.0 32.0 25.0 39.0 35.2 31.0 67.0	2. जुताई कार्य चालू, बोनी चालू, धान रोपाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूफ़ली, सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें कम है	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. जिला दमोह : 1. हटा 2. बटियागढ़. 3. दमोह 4. पथरिया 5. जबरा 6. तेन्दूखोड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर 43.0 20.0 17.0 27.0 15.0 4.4 62.0	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग, उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का, तिल सुधरी. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना : 1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उच्चेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मेहर 9. कोठर 9. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर 145.5 61.0 149.0 70.8 98.0 47.0 184.0 84.0 .. 73.0	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कोदोकुटकी, धान, ज्वार, मक्का, बाजार कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा : 1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. मनगंवा 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान	मिलीमीटर 178.0 118.6 327.0 220.0 207.0 306.2 206.0	2. बोनी चालू, जुताई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहगापुर	31.0				
2. ब्यौहारी	168.0				
3. जैसिहनगर	82.0				
4. बुड़ार	38.0				
5. गोहपारू	46.0				
6. जैतपुर	57.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. .. 4. (1) मक्का, सोयाबीन धान, तुअर, तिल, कोंदोकुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	53.2				
2. अनूपपुर	17.0				
3. कोतमा	35.5				
4. पुष्पराजगढ़	55.3				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. .. 4. (1) .. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	77.4				
2. पाली	32.7				
3. चौदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	32.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, खरीफ फसलों की बोनी चालू, धान की रोपाई चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	140.0				
2. सिंहावल	145.0				
3. मझौली	106.2				
4. कुसमी	86.0				
5. चुरहट	191.5				
6. बहरी	..				
7. रामपुर्नेकिन	90.5				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. .. 4. (1) मक्का, राहर, उड़द, ज्वार, कोदों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू,	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	2.0				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) मूंगफली अधिक. सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, तिल, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	2.1				
2. नीमच	13.0				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	6.0				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	अप्राप्त				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	2.0				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	5.0				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	9.0				
7. नागदा	..				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौदा	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. अल्प वर्षा से फसलों में 5 से 10 % हानि का अनुमान. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	0.2				
3. शुजालपुर	13.0				
4. कालापीपल	6.0				
5. पोलाय कलाँ	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	4.0				
2. टांकखुर्द	2.0				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	10.0				
6. हाटपीपल्या	..				
7. सतवास	1.0				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	18.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झावुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झावुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर 0.4 .. 0.6	2. बोनी कार्य चालू है. 3. .. 4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, उड्ड, कपास, मूँगफली, तुअर, समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड्ड, अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सॉडवा 5. भामरा 6. उदयगढ़ 7. चन्द्रशेखर आ. नगर	मिलीमीटर 26.2 95.6 72.0 53.0 .. 29.7 66.6	2. .. 3. बोनी चालू 3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड्ड, अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गधवानी 8. डही	मिलीमीटर 3.4 1.0 4.6 2.5 2.0 11.0 4.0 5.0	2. बोनी चालू 3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
31. *जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. हातोद 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. .. 3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
32. जिला खरगोन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगोन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर 69.0 19.6 162.0 147.1 103.0 174.0 91.4 115.0 .. 177.4	2. .. 3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर 3.3 3.0 12.0 60.0 11.0 4.0 45.0	2. बोनी चालू 3. .. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) गन्ना, ज्वार, मक्का अधिक. कपास कम.	3. .. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) गन्ना, ज्वार, मक्का अधिक. कपास कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंथाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	1.6				
2. खकनार	11.7				
3. नेपानगर	11.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान रोपाइ चालू.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, ज्वार,, मक्का, धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	6.2				
2. बैरागढ़	4.5				
3. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	6.0				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	8.0				
5. रेहटी	20.0				
6. श्यामपुर	..				
7. जावरा	2.4				
8. बुधनी	50.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	17.0				
2. गैरतगंज	56.6				
3. बेगमगंज	34.0				
4. गोहरगंज	10.0				
5. बरेली	37.8				
6. सिलवानी	47.4				
7. बाड़ी	10.5				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	33.6				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू, तहसील शाहपुर में धान की रोपाई.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	8.8				
2. भैंसदेही	7.0				
3. घोड़ाडोंगरी	20.3				
4. शाहपुर	41.8				
5. चिचोली	8.3				
6. मुलताई	2.5				
7. आठनेर	24.8				
8. आमला	2.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू,	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	45.1				
2. सिवनी मालवा	20.0				
3. बावई	27.0				
4. इटारसी	30.8				
5. सोहगापुर	29.0				
6. पिपरिया	53.4				
7. बनखेड़ी	22.4				
8. पचमढ़ी	22.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	6.5				
2. खिड़किया	2.8				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हड्डिया	..				
6. टिमरनी	2.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	22.0				
2. कुण्डम	65.4				
3. सीहोरा	51.9				
4. पाटन	14.0				
5. मझौली	27.3				
6. शाहपुरा					
7. पनागर					
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, खरीफ फसलों की धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	92.4				
2. ढीमरखेड़ा	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)					
6. विजयराधोगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू, जुताई चालू,	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	43.0				
2. गोटेगांव	46.0				
3. करेली	50.0				
4. गाडरवारा	22.0				
5. तेंदूखेड़ा	27.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	29.4				
2. नैनपुर	21.6				
3. बिछिया	44.8				
4. निवास	123.4				
5. नारायणगंज	31.7				
6. घुघरी	44.1				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू, फसल मक्का, सोयाबीन, उड्ड.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	70.0				
2. शाहपुरा	80.8				
3. बजाग	55.9				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	16.0				
2. तामिया	24.0				
3. परासिया	38.4				
4. जूनारदेव	36.6				
5. सांसर	6.4				
6. बिछुआ	33.2				
7. अमरवाड़ा	43.8				
8. चौरई	31.0				
9. उमरेठ	21.2				
10. मोहखेड़ा	7.0				
11. हरई	41.8				
12. चांद	13.3				
13. पांढुर्णा	18.0				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	22.6				
2. बरधाट	51.2				
3. कुरई	15.4				
4. केवलारी	10.6				
5. लखनादोन	21.8				
6. छपारा	17.7				
7. घनोरा	16.2				
8. घंसार	18.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. कहीं-कहीं रोपाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	35.4				
2. लाँजी	35.4				
3. किरनापुर	84.7				
4. बैहर	75.0				
5. वारासिवनी	62.1				
6. कटांगी	7.5				
7. लालबरा	86.0				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	48.6				
10. बिरसा	54.0				
11. खैरलांजी	59.3				

टीप :- जिला आगर, इन्दौर, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1860)